(85)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1103-पीबीआर/2015 विरूद्ध आदेश दिनांक 06-05-2015 पारित द्वारा तहसीलदार, तहसील सरदारपुर जिला धार, प्रकरण क्रमांक 1/2014-15/अ-70

---

1. रमेश पिता मांगीलाल चावडा
2. बालमुकन्द पिता गोपीलालजी
3. उंकारलाल पिता रूग्गाजी

निवासीगण ग्राम बडोदिया
तहसील सरदारपुर जिला धार .....आवेदकगण

विरूद्ध

1. शांतिलाल पिता रन्छोडजी
2. सोहनलाल पिता हेमराज
3. प्रेमदास दत्तकपुत्रमदनदास फोत वारिस अज्ञात

निवासीगण ग्राम बडोदिया
तहसील सरदारपुर जिला धार .....अनावेदकगण

श्री टी.टी.गुप्ता, अभिभाषक, आवेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 19/6/18 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार, तहसील सरदारपुर जिला धार द्वारा पारित दिनांक 06-05-2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अनावेदक क्रमांक 1 द्वारा तहसीलदार सरदारपुर जिला धार के समक्ष संहिता की धारा 250 के अंतर्गत इस आशय की आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि ग्राम बडौदिया, तहसील सरदारपुर में स्थित उसके भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि सर्वे नम्बर 459/1 रकबा 0.50 हेक्टयर का सीमांकन कराया गया था । उक्त सीमांकन में आवेदक की भूमि पर आवेदकगण सहित अनावेदक 2 सोहन अवैध कब्जा पाया गया है । अत: उसे प्रश्नाधीन भूमि का कब्जा दिलाया जाये । तहसीलदार द्वारा प्रकरण क्रमांक 1/अ-70/2014-15 दर्ज कर दिनांक 06-05-2015 को आदेश पारित कर प्रश्नाधीन भूमि 459/1 का अतिक्रमित भूमि को जरीब से नाप कर पुन: सीमा चिन्ह कायम करने के निर्देश मौजा पटवारी को दिये गये । तहसीलदार के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित रूप में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये है:-

1. तहसील न्यायालय द्वारा संहिता की धारा 250 के आज्ञापक प्रावधानों, नियमों व उपनियमों को नजरअंदाज कर अवैधानिक रूप से कार्यवाही कर अवैधानिक आदेश पारित किया है, जिससे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की गई सम्पूर्ण कार्यवाही अवैधानिक होने से निरस्त किये जाने योग्य हैं ।
2. तहसील न्यायालय के समक्ष आवेदकगण द्वारा मृत पक्षकार के विरूद्ध कार्यवाही प्रचलन योग्य नहीं होने की आपत्ति प्रस्तुत करने के बाद भी तहसील न्यायालय द्वारा बिना किसी वारिसान आवेदन के मृत पक्षकार के वारिसों को रिकार्ड पर लिये जाने का आदेश पारित करने में वैधानिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि की है ।
3. तहसील न्यायालय द्वारा अनावेदक क्रमांक 1 द्वारा संहिता की धारा 250 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन में उल्लेखित सीमांकन प्रकरण के संबंध में बिना उक्त सीमांकन प्रकरण को तलब किये, बिना उक्त् सीमांकन प्रकरण के पंचनामें व प्रतिवेदन के संबंध में कोई साक्ष्य लिये बिना किसी आधार के आवेदकगणों को अतिक्रामक मानकर मौजा पटवारी को भूमि का पुन: सीमांकन कर, सीमा चिन्ह कायम करने में का आदेश देने में अधिकारिता रहित अवैध आदेश पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है ।
4. तहसील न्यायालय के समक्ष अनावेदक क्रमांक 1 द्वारा प्रस्तुत मूल आवेदन का आधार तथाकथित सीमांकन प्रकरण होने से एवं वर्तमान आवेदकगण द्वारा उक्त तथाकथित

सीमांकन की वैधता को स्पष्टतया आपेक्षित किये जाने के बावजूद भी उक्त सीमांकन की वैधता पर बिना कोई विचार किये कार्यवाही प्रचलित रखे जाने में त्रुटि की है । तर्क के समर्थन में 1993 रा.नि. 363, 2006 रा.नि. 218 (उच्च न्यायालय) के न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किये गये ।

5. तहसील न्यायालय के समक्ष जिस सीमांकन प्रकरण के आधार पर अनावेदक क्रमांक 1 द्वारा कार्यवाही संस्थित की गई है । उक्त सीमांकन प्रकरण के विरूद्ध इस न्यायालय के समक्ष प्रकरण क्रमांक आर 3651 पीबीआर/2015 (उंकारलाल विरूद्ध म.प्र. व अन्य एक) विचाराधीन होकर पेशी दिनांक 27-03-2018 नियत है । अत: तहसील न्यायालय के समक्ष धारा 250 के अंतर्गत प्रचलित कार्यवाही पोषणीय न होकर निरस्त किये जाने योग्य है ।
6. तहसील न्यायालय द्वारा पेशी दिनांक 23-04-2015 को प्रकरण साक्ष्य हेतु दिनांक 30-04-2015 को नियत करने के पश्चात् पेशी दिनांक 30-04-2015 को पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त होने से प्रकरण में पेशी दिनांक 06-05-2015 नियत कर उक्त दिनांक को बिना कोई साक्ष्य लिये, बिना किसी पूर्व आदेशिका के प्रकरण मौका स्थल पर लिये जाने में गंभीर वैधानिक त्रुटि की है, जिससे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की गई सम्पूर्ण कार्यवाही अवैधानिक एवं अनियमित होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

4/ अनावेदक क्रमांक 1 के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित रूप में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये है:-

1. अनावेदक क्रमांक 1 शांतीलाल के द्वारा विधिवत प्रश्नाधीन भूमि सर्वे क्रमांक 459/1 रकबा 0.359 हेक्टयर के सीमांकन के बाबद आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया जिसका सीमांकन दिनांक 12-06-2014 को किया गया होकर आवेदकण को विधिवत सूचना पत्र दिये गये और सीमांकन हुआ है, जिसका पंचनामा पंचनामा फिल्ड बुक राजस्व निरीक्षक की रिपोर्ट में आवदेकगण के कब्जे में पाई जाने की रिपोर्ट सहित तहसील न्यायालय में प्रस्तुत की ।
2. निगरानी में असत्य आधार बताकर प्रेमदास दत्तक पुत्र मदनदास को पक्षकार बनाने की बात कह कर निगरानी प्रस्तुत की है, जबकि पूर्व से ही प्रेमदास कार्यवाही में पक्षकार है और उक्त आपत्ति करने का अधिकार भी प्रेमदास को है न कि आवेदक को है ।
3. फिल्डबुक के अनुसार ही अनावेदक क्रमांक 1 शांतिलाल के सर्वे क्रमांक 459/1 उत्तर मेढ पर पूर्व से पश्चिम की और आम रास्ता नक्शे में भी वर्णित है, जिसे कभी भी उसके द्वारा रोका नहीं गया है, जबकि आवेदकगण की भूमियां मार्ग से उत्तर दिशा की और अनावेदक

क्रमांक 1 की निजी भूमि है, जिस पर कोई भी मार्ग नहीं है और अनावेदक क्रमांक 1 उक्त भूमि का स्वामी है मात्र न्यायालय को भ्रम में डालने के लिये असत्य आधार वर्णित किया है ।

4. अनावेदक क्रमांक 1 की भूमि सर्वे क्रमांक 459/1 की भूमि का रकबा 0.359 हेक्टयर होकर लगभग 50,000 स्क्वेयरफिट से अधिक भूमि है । जिसे आवेदकगण उनके कब्जे में अवैध रूप से पाई पायी भूमि को हथियाने के लिये असत्य आधार वर्णित किये है और असत्य निगरानी प्रस्तुत की है ।
5. अनावेदक क्रमांक 1 के द्वारा उक्त भूमि पर बलराम तालाब योजना के अंतर्गत बलराम तालाब स्वीकृत कराया है, जिसे बनने नहीं देने की नियत को रखते हुए और धारा 250 के प्रकरण को लंबान पर डालने की नियत से असत्य निगरानी असत्य आधार पर प्रस्तुत की है, जो प्रचलन योग्य नहीं है ।
6. आवेदक को तहसील न्यायालय में कार्यवाही करने के लिये पर्याप्त अवसर होते हुए तथा तहसीलदार को धारा 250 में कब्जा दिलाने में, मौका निरिक्षण करने का अधिकार होने के तथा उसकी जानकारी आवेदकगण को होते हुए जबरन कब्जा बनाये रखने की नियत से निगरानी प्रस्तुत की है ।
7. तहसीलदार द्वारा पारित दिनांक 06-05-2015 के स्थल निरक्षण का आदेश अंतवर्तिय आदेश है तथा उक्त अंतवर्तिय आदेश की निगरानी कानूनन नहीं हो सकती इसके बावजूद भी जो निगरानी प्रस्तुत की है वह प्रचलन योग्य नहीं है ।
8. आवेदकगण मात्र तहसील न्यायालय में प्रस्तुत प्रकरण को लंबान पर डालने की नियत से तथा कार्यवाही में विघ्न उत्पन्न करने की नीयत से असत्य आधार पर निगरानी प्रस्तुत की है जो निरस्त योग्य है ।
9. तहसीलदार द्वारा पारित प्रोसिडिंग आदेश विधि सम्मत है तथा विधि के अनुरूप है संहिता के अनुसार व राजस्व परिपत्र के अनुसार धारा 250 में कब्जा दिलाये जाने के पूर्व स्थल निरिक्षण एवं पुन: सीमा चिन्ह कायम करने के आदेश दिये जाने की शक्ति तहसीलदार में अंतर्निहित है आदेश वैध्य व उचित है ।
10. आवेदकगण द्वारा निगरानी में आदेशिका दिनांक 06-05-2015 व उसके पूर्व व बाद की सारी कार्यवाही को चुनौती दी गयी है, जो इस निगरानी के माध्यम से चुनौती योग्य नहीं है, इसलिए भी निगरानी निरस्त योग्य है । तहसीलदार को संहिता की धारा 32 के तहत किसी भी समय प्रकरण में अंतवर्तीय आदेश व अंतरिम आदेश पारित करने का अधिकार है, जिसका प्रयोग करते हुये तहसीलदार द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया । उक्त् प्रोसेडिंग

आदेश में किसी प्रकार का कोई आदेश नहीं हैं, बल्कि उक्त स्थल निरीक्षण को चुनौती देने का अधिकार आवेदक को तहसील में होते हुए निगरानी प्रस्तुत की है जो प्रचलन योग्य नहीं है ।

11. आवेदक द्वारा निगरानी में रास्ता होने के संबंध में उज्र उठाया है, जबकि रास्ते के संबंध में व्यवहार न्यायधीश वर्ग-2 सरदारपुर जिला धार श्री कृष्णकुमार डागलिया के समक्ष सिविल वाद क्रमांक 14-ए/2015 का विचाराधीन होकर रास्ते के संबंध में निराकृत होना शेष है तथा पेशी दिनांक 24-08-2015 नियत है और सिविल न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन होते हुए राजस्व न्यायालय को रास्ते का विनिश्चय करने का अधिकार नहीं है उक्त् प्ररकण भी आवेदक द्वारा ही प्रस्तुत किया गया है ।

12. अनावेदक क्रमांक 1 द्वारा बलराम तालाब स्वीकृत किये जाने के बावजूद उसकी स्वयं की भूमि पर आवेदक अनावेदकगण के द्वारा जानबूजकर कब्जा नहीं छोडे जाने से उसकी अन्य भूमि भी असिचिंत रही व उसे रूपये 2,00,000/- का नुकसान आवेदक की वजह से हुआ है । वह भी आवेदक की ओर से दिलवाये जाने का आदेश प्रदान करें ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । आवेदकगण द्वारा तहसील न्यायालय की जिस आदेश पत्रिका दिनांक 6-5-15 के विरूद्ध निगरानी प्रस्तुत की गई है, उसमें ऐसा कोई बिन्दु नहीं है, जिस पर इस निगरानी में विचार किया जा सके । मृतक अनावेदक क्रमांक 3 प्रेमदास के वारिसान को दिनांक 25-3-15 को सूचना पत्र जारी होने के आदेश पहले ही, हो चुके हैं । अत: इस सम्बन्ध में आवेदक की आपत्ति आधारहीन है । आवेदकगण की जो अन्य आपत्तियां हैं, जिसे उनके द्वारा तहसील न्यायालय के समक्ष नहीं उठाया गया है, उक्त आपत्तियां आवेदकगण को तहसील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए । उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार, तहसील सरदारपुर जिला धार द्वारा पारित दिनांक 06-05-2015 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष